भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3195

उत्तर देने की तारीखः 15.03.2021

विद्यालयों में अपराध

†3195. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में विद्यालयों के अंदर छात्रों की हत्या/बलात्कार और उनके विरुद्ध की गई अन्य अत्याचारों की घटनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जो सरकार के संज्ञान में आई है;

(ख) क्या सरकार का विद्यालयों के अंदर बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के कारण विद्यालयों में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के इरादे से मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे दिशानिर्देशों को कब तक संशोधित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) जैसाकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के नियत्रंण में है। इसके अलावा भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक आदेश' राज्य के विषय हैं एवं कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, बच्चों के विरूद्ध अपराध सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन का है। ऐसी कोई सूचना का रख-रखाव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सीधी जिम्मेवारी है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य सरकारों को किसी घटना के मामले में राहत और निपटान कार्यनीतियों के साथ-साथ स्कूल प्रणाली में लागू किए जाने के लिए अपेक्षित बचाव व्यवस्था और प्रक्रिया सहित स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अक्टूबर, 2014 में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (अपराध) सं. 2017 की 136 और रिट याचिका (सिविल) सं. 2017 की 874 में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, यह विभाग स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न स्तरों जैसें स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल प्राचार्य, स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग और बोर्ड प्राधिकारियों को स्कूलों में सुरक्षा जाचं करने के लिए सुझाव दिया है।

(घ) समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अध्यापकों को स्कूलों में प्रथम स्तर के कांउसलर के रूप में कार्य करने हेतु संवेदनशील बनाने के लिए निधि दी जाती है। निष्ठा – एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अध्यापकों को, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम के काउंसलिंग प्रावधानों, किशोर न्याय अधिनियम, स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देश, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर, शिकायत के लिए ड्राप-बाक्स आदि के प्रति उन्मुख किया जा रहा है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों के अंदर वाले पृष्ठ पर ncpcr@gov.in & CHILDLINE NO. 1098 पर पोक्सो ई-बॉक्स के संदर्भ दिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल सुरक्षा शपथ को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है कि इस शपथ को बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए या अंग्रेजी/हिंदी या राज्य/संघ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दीवार पर लिखवाया जाए, स्कूल के किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। इसमें मुख्य हितधारकों जैसे चाइल्डलाइन, राज्य काउंसलिंग हैल्पलाइन आदि के संपर्क नंबर दिए गए हैं। बालिकाओं की

सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा VI से XII में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्म रक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए बालिकाओं में आत्म-रक्षा और आत्म–विकास के लिए जीवन कौशल सहित उनमें आत्म-रक्षा कौशल प्रतिपादित करने हेतु तीन महीने के लिए 3000/- रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में भी दिया जाता है।

इसके अलावा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12.09.2017 के परिपत्र के तहत निदेश दिए हैं कि बोर्ड से संबद्ध स्कूल शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ का साइकोमैट्रिक मूल्यांकन, परिसर की सुरक्षा जांच, सीसीटीवी निगरानी, चरित्र-वृत्त का सत्यापन, आगंतुक प्रबंधन, स्टाफ का प्रशिक्षण और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम (पोक्सो), 2012 आदि के तहत समितियां आदि का गठन करने जैसे उपाय करें। ताकि, सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों में भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

****